उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 52/2022 **संवाद–201** दिनांक /Date.: 8/4/2022

विषयः– दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2021 को आयोजित स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा **13 विभागों** के अंतर्गत स्नातक स्तरीय **विभिन्न 854 रिक्त पदों** यथा **पदनाम–छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** इत्यादि पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 07.04.2022 को जारी किया गया है। शीघ्र ही परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व ओ0एम0आर0 शीट की स्केन प्रति अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आयोग वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर प्रकाशित की जायेगी।

यह लिखित परीक्षा दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2021 को 03 पालियों में प्रदेश के समस्त जनपदों के 440 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। इस लिखित परीक्षा में 2,16,519 अभ्यर्थी थे। जिसमें से 146002 अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया गया। अभ्यर्थियों की संख्या की दृष्टि से यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा थी।

वर्तमान में संबंधित नियोक्ता विभागों द्वारा पदों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के कम में कुल 916 रिक्त पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किया गया है।

औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन एवं टंकण परीक्षा की तिथि व स्थान की जानकारी शीघ्र ही आयोग वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराना है कि उक्त लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम पर यदि वे आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे तो दिनांक 07.04.2022 को जारी अधिसूचना/विज्ञप्ति के 15 दिवस के भीतर दे दें। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि किसी परीक्षा में परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम पर 15 दिन के भीतर आपत्ति का अवसर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि **परिणाम में जो मेरिट कम दिया गया है, उस पर कोई आपत्ति है तो प्रस्तुत करें या फिर कोई अभ्यर्थी ऐसे है जिसके प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम जारी मेरिट सूची में नहीं आ सका है वो अपनी आपत्ति दे सकते हैं।** प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति का अवसर आयोग द्वारा केवल एक बार लिखित परीक्षा के तत्काल बाद सामान्यतः 07 दिन के लिए दिया जाता है व प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दी जा सकती है। ऑफलाइन आपत्ति या प्रश्नों पर आपत्ति के निर्धारित समय के बाद की गयी आपत्ति पर विचार संभव नहीं है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति प्रस्तुत न करें।

आयोग की ओर से,

8/4/22

(संतोष बडोनी)
सचिव।